प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

त्रांक–एन0एच0एम0/मातृ स्वा0/एनीमिया/ HRP/135/2018–19/6046-2 दिनांकः04.09.2018

विषय– हाई रिस्क प्रेगनेन्सी (उच्च खतरे वाली गर्भावस्था) का चिन्हीकरण, उपचार, फॉलो–अप व प्रोत्साहन धनराशि के आवंटन सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि वर्तमान में मातृ मृत्यु दर के अनुसार राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 14620 प्रसूताओं की मृत्यु हो रही है, जिसका मुख्य कारण प्रसूताओं की समय पर ए0एन0सी0 जांच एवं उच्च खतरे वाली गर्भवती महिला का समय पर चिन्हीकरण एवं उपचार न हो पाना है। यदि प्रसूताओं को सभी ए0एन0सी0 जांचें समय पर उपलब्ध हो जायें एवं एच0आर0पी0 चिन्हित कर उनका उपचार एवं नियमित फालोअप किया जाये तो राज्य की मातृ मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाई जा सकती है। लगभग 60 प्रतिशत मृत्युओं को मात्र उच्च जोखिम युक्त महिलाओं के चिन्हीकरण व पूर्व नियोजित सुरक्षित संस्थागत प्रसव कराने मात्र से रोका जा सकता है। इसके सन्दर्भ में वर्ष 2017–18 में दिनांक– 01.08. 2018 को पत्रांक–एन0एच0एम0/मातृ स्वा0/एनिमिया/एच0आर0पी0/142/2017–18/4263–2 द्वारा सभी जनपदों को दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे। इसी क्रम में वर्ष 2018–19 के लिये दिशा–निर्देश प्रेषित किये जा रहे हैं।

1. **<u>हाई रिस्क प्रेगनेन्सी से होने वाली मृत्यु के कारण</u>** कई हैं, जिनमें से प्रमुख कारण निम्न हैं:–
   - रक्त स्त्राव (एन्टी पार्टम/पोस्ट पार्टम)
   - गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप (Pre-eclampsia/eclampsia)
   - गम्भीर एनीमिया
   - पूर्व की गर्भावस्था की जटिलताएं
   - ओब्सट्रक्टेड लेबर (अटका हुआ प्रसव)
   - अन्य चिकित्सकीय बीमारियाँ जो गर्भावस्था में अनियन्त्रित हो जायें जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारी, टी0बी0, मलेरिया आदि।
2. **गर्भवती महिला में जटिलता के चिन्हीकरण हेतु मुख्य बिन्दु** निम्नानुसार हैं:–

जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं (**HRP**) की पहचान
1. **पूर्व की गर्भावस्थाओं या प्रसव का इतिहास** – दो या उससे अधिक बार कच्चा बच्चा गिर गया हो (एवोर्शन)। – बच्चा पेट में मर गया हो या मरा पैदा हुआ हो या तुरन्त पैदा होते ही मर गया हो। – कोई विकृत वाला बच्चा पैदा हुआ हो। – प्रसव के दौरान या बाद मे अत्याधिक खून चला हो। – पहला प्रसव बडे ऑपरेशन से हुआ हो।
2. **गर्भवती को पहले से कोई बीमारी हो** – हाई ब्लड प्रेशर (उच्च रक्तचाप) – शकर की बीमारी (डायबिटीज) – दिल की, गुर्दे की बीमारी – टी0बी0, मिरगी आदि – पीलिया या लिवर की बीमारी – हाईपोथायोराइड

3.	वर्तमान गर्भावस्था में – गम्भीर एनीमिया <7gm Hb% – ब्लड प्रेशर 140/90 से अधिक – आडा/तिरछा/उल्टा बच्चा – चौथे महीने के बाद खून चलना – गर्भावस्था में डायबिटीज का पता चलना – HIV या WR +ve
	उपर्युक्त लक्षण पाये जाने पर सामने टिक (V) लगायें।

कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से लगभग 5 से 10 प्रतिशत महिलाओं में एच0आर0पी0 होने की सम्भावना होती है। किसी गर्भवती महिला में उपर्युक्त कोई भी लक्षण पाये जाने पर ए0एन0एम0 मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड पर प्रदर्शित तालिका में टिक (V) लगा देगी और कार्ड के प्रथम पृष्ठ व काउन्टर फॉइल पर HRP सील तथा लाल बिन्दी लगा देगी।

प्रदेश में प्रसव पूर्व देखभाल एवं जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान व प्रबन्धन को संस्थापित करने के लिये प्रत्येक माह की 09 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भी संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान स्वास्थ्य इकाईयों पर एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक (प्राईवेट/पब्लिक) द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं की जांच एवं उपचार किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन सभी स्वास्थ्य इकाइयों पर एच0आर0पी0 महिलाओं का निरन्तर फालोअप, चिकित्साधिकारी द्वारा जाँच व उपचार आवश्यक है जब तक कि उनका सुरक्षित संस्थागत प्रसव न हो जाये। अतः एच0आर0पी0 महिला की 04 ए0एन0सी0 जाँचों के अतिरिक्त भी ए0एन0सी0 जाँचें होती रहेंगी, जब तक उनका सुरक्षित प्रसव हो जाये। इसके पश्चात भी 42 दिनों तक आशाओं द्वारा एच0बी0एन0सी0 के दौरान उन्हें फॉलोअप किया जाना है। इस कार्य में आशा, ए0एन0एम0, चिकित्सकों सभी की अहम भूमिका है और भारत सरकार ने भी इस गतिविधि को प्राथमिकता देते हुए गत वर्ष की भांति वित्तीय वर्ष 2018–19 में भी विशेष प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत की है।

3. वर्ष 2018–19 में मिलने वाली प्रोत्साहन धनराशि का विवरण–

- **ए0एन0एम0 के लिये प्रोत्साहन धनराशि–** ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर ए0एन0एम0 गर्भवती महिला की जाँच एवं पूर्व के प्रसवों/गर्भावस्थाओं के इतिहास के आधार पर हाई रिस्क गर्भवती महिला को पहचान कर उसकी एम0सी0टी0एस0 पोर्टल में कॉम्लीकेटेड प्रेगनेन्सी के कॉलम में दर्ज कराने और एम0सी0पी0 कार्ड में अंकन करायेगी तो ए0एन0एम0 को **रू0–200.00 प्रति एच0आर0पी0 की प्रोत्साहन धनराशि** प्राप्त होगी।
- **आशा के लिये प्रोत्साहन धनराशि–** अपने क्षेत्र में ग्राम/शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस पर ए0एन0एम0 द्वारा किसी हाई रिस्क गर्भवती महिला का चिन्हीकरण होने पर आशा
  - उसे अपने वी0एच0आई0आर0 रजिस्टर में दर्ज कर लेंगी,
  - ए0एन0एम0 दीदी से उसका एम0सी0पी0 कार्ड भरवायेंगी,
  - एम0सी0टी0एस0 नं0 अंकित करवायेंगी,
  - उसे ब्लाक/जिला स्तरीय चिकित्सालय पर नियमित रूप से दिखाने ले जायेंगी और सुनिश्चित करेंगी कि उसका संस्थागत प्रसव ही हो एवं गर्भवती की सुरक्षित प्रसव तक की सभी सूचनायें एम0सी0टी0एस0 पर अंकित करवायेगी ,तो आशा को **रू0–300.00 प्रति लाभार्थी की प्रोत्साहन धनराशि** प्राप्त होगी जो कि जे0एस0वाई के प्रोत्साहन धनराशि के अतिरिक्त होगी। इसके अतिरिक्त निजी संस्था में सुरक्षित प्रसव करवाने के पश्चात **एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर अंकित करने पर भी आशा को यह धनराशि देय होगी।**

आशा का उत्तरदायित्व होगा कि ए0एन0एम0 के सहयोग से जटिलता वाली गर्भवती महिला के परिवार को जटिलता का प्रकार एवं उससे होने वाले खतरे के लक्षणों के विषय में विस्तार से समझायेगी और उनके साथ सुरक्षित संस्थागत प्रसव की योजना बनाकर उसपर अमल करेगी।

4. कार्यक्रम क्रियान्वयन–

- इस कार्यक्रम के लिये अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एन0आर0एच0एम0/आर0सी0एच0 ही नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

- सभी स्वास्थ्य इकाई प्रभारियों को हाई रिस्क प्रेगनेन्सी (उच्च खतरे वाली गर्भावस्था) का चिन्हीकरण, उपचार व फॉलो–अप सम्बन्धी कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी जाये एवं एक रणनीति विकसित की जाये। हाई रिस्क प्रेगनेन्सी (उच्च खतरे वाली गर्भावस्था) के चिन्हीकरण के लिये शीघ्र पंजीकरण के महत्व पर विशेष जोर दिया जाये।
- इसके लिये प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर सभी ब्लॉक प्रभारियों एवं चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिकाओं की पुनः बैठक कर "हाई रिस्क प्रेगनेन्सी" (उच्च खतरे वाली गर्भावस्था) का चिन्हीकरण, उपचार व फॉलो–अप" विषय पर चर्चा की जाये। इसी प्रकार प्रत्येक ब्लॉक पर भी एक बैठक कर इस विषय पर चर्चा की जाय जिससे वे कार्यक्रम का अनुश्रवण कर सकें।
- ब्लॉक स्तरीय बैठक में प्रभारी चिकित्साधिकारी के साथ बी0पी0एम0 व एच0ई0ओ0 सभी ए0एन0एम0/एच0वी0 को "हाई रिस्क प्रेगनेन्सी" (उच्च खतरे वाली गर्भावस्था) का चिन्हीकरण, उपचार व फॉलो–अप" के विषय में विस्तार से बतायें तथा क्वालिटी ए0एन0सी0 के घटक व महत्ता पर प्रकाश डालें। एम0सी0टी0एस0 व एच0एम0आई0एस0 में सूचनाओं के अंकन पर भी ज्ञानवर्धन करें।
- मुख्य चिकित्साधिकरी जनपद की सभी चिकित्सा इकाइयों पर स्पष्ट निर्देश प्रेषित करें कि उच्च खतरे वाली गर्भवती महिला को उपचार हेतु लगी हुई कतार में न खड़ा रहने दें, वरन उस गर्भवती महिला को विशेष महत्व देते हुये उसे जाँच एवं उपचार तुरन्त उपलब्ध करवाया जाये। सम्भव हो तो एक पृथक से हाई रिस्क क्लीनिक भी बनायी जा सकती है।
- हाई रिस्क (उच्च खतरे वाली वाली गर्भावस्था) गर्भवती महिलाओं की सूचना एम0सी0टी0एस0 रजिस्टर में "कॉम्प्लीकेशन इन प्रेगनेन्सी" वाले कॉलम में नियमित रूप से अंकित किया जाये एवं इसका नियमित अनुश्रवण भी किया जाये।
- प्रत्येक जनपद की सभी इकाइयों पर यह प्रोटोकॉल भी प्रदर्शित किया जाये कि हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के उपचार की सुविधा किन चिकित्सा इकाइयों पर उपलब्ध है। इससे ए0एन0एम0 अथवा आशाओं को उचित इकाई पर सन्दर्भन में सुविधा होगी।
- प्रत्येक माह चिकित्सा इकाई के प्रभारी, ब्लॉक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी द्वारा नयी चिन्हीकृत उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं की विस्तृत सूचना एवं सुरक्षित संस्थागत प्रसव के एम0सी0टी0एस0 पर अंकन का अनुश्रवण करेंगे। अपने जनपद/ब्लॉक में संभावित हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की संख्या (कुल गर्भवती महिलाओं का 5–10 प्रतिशत) का आंकलन कर, उसके सापेक्ष कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे।
- सभी प्रोत्साहन धनराशियों का आवंटन एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर अंकन का साक्ष्य उपलब्ध कराये जाने पर ही देय होगा। ब्लाक स्तर पर एम0सी0टी0एस0 प्रभारी द्वारा यह साक्ष्य सत्यापित किया जायेगा।

5. वित्तीय व्यवस्था–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव पूर्व देखभाल एवं एच0आर0पी0 महिलाओं का प्रबन्धन सुनिश्चित करने के लिये निम्नानुसार वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया है–

- भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 में उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं (एच0आर0पी0) के चिन्हीकरण, लाइन लिस्टिंग एवं एम0सी0टी0एस0 में अंकन हेतु ए0एन0एम0 को रू0 200.00 प्रति चिन्हित केस की दर से 3 लाख जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं (एच0आर0पी0) के चिन्हीकरण, लाइन लिस्टिंग एवं एम0सी0टी0एस0 में अंकन हेतु एफ0एम0आर0 कोड– 8.4.10 में रू0–6,00,00,000/–छः करोड की धनराशि जनपदों को आवंटन हेतु स्वीकृत की गयी है। जनपदों को आवंटित की जा रही है। पूर्व से पंजीकृत गर्भवती महिलायें जिनमें कोई जटिलता का चिन्ह पाया जाये और एम0सी0टी0एस0 पर अंकन हो जाये तो भी ए0एन0एम0 को यह प्रोत्साहन धनराशि देय होगी।
- इसी प्रकार चिन्हित जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं (एच0आर0पी0) की लाइन लिस्टिंग, चार ए0एन0सी0 चेकअप एवं संस्थागत प्रसव तक के फालोअप हेतु रू0 300.00 प्रति चिन्हित केस की दर से एफ0एम0आर0 कोड– 3.1.1.1.12 में रू0–9,00,00,000/–नौ करोड की धनराशि

जनपदों को आवंटन हेतु स्वीकृत है। यह धनराशि आशाओं को एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर प्रसव तक की आवश्यक प्रविष्टियां सुनिश्चित करने पर संस्थागत प्रसव के पश्चात ही अनुमन्य होगी।

इन प्रयासों से राज्य में एच0आर0पी0 गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित संस्थागत प्रसवों को सुनिश्चित कर प्रतिवर्ष हो रही मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। पूर्व में प्रेषित पत्रांक–एन0एच0एम0/मातृ स्वा0/एनीमिया/HRP/135/2018–19/2675–75 दिनांक 14.06.2018 द्वारा डी0सी0पी0एम0 एवं बी0सी0पी0एम0 को इसके लिये उत्तरदायी किया गया है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जनपद में हाईरिस्क प्रेगनेन्सी के चिन्हीकरण, उपचार एवं फालोअप कराना सुनिश्चित करायें तथा इस कार्यक्रम पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। सभी मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एन0आर0एच0एम0/आर0सी0एच0 इस कार्यक्रम की महत्ता के दृष्टिगत उपर्युक्तानुसार कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक–एन0एच0एम0/मातृ स्वा0/एनीमिया/ HRP/135/2018–19/ **तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित कराने का कष्ट करें।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेश, चि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
5. समस्त महाप्रबन्धक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ।
6. महाप्रबंधक एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को upnhm की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. वित्त नियंत्रक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।

(डा0 स्वप्ना दास)
महाप्रबन्धक मातृ स्वा0

HRP: High Risk Pregnency DHAP sheet for year 2018-19						
SL. No.	District	Physical Targets		8.4.10	3.1.1.1.12	Total HRP Budget for year 2018-19 for the districts
		Expected ANC coverage	Expected HRP (6 %)	HRP identification and follow up for ANM@ Rs.200/	HRP identification and follow up for ASHA @ Rs.300/	
1	Agra	105,400	6,300.00	1,260,000	1,890,000	3,150,000
2	Aligarh	98,400	5,900.00	1,180,000	1,770,000	2,950,000
3	Allahabad	152,800	9,200.00	1,840,000	2,760,000	4,600,000
4	Ambedkar Nagar	57,800	3,500.00	700,000	1,050,000	1,750,000
5	Amethi	48,800	2,900.00	580,000	870,000	1,450,000
6	Nagar)	49,100	3,000.00	600,000	900,000	1,500,000
7	Auraiya	32,300	2,000.00	400,000	600,000	1,000,000
8	Azamgarh	107,800	6,500.00	1,300,000	1,950,000	3,250,000
9	Baghpat	27,700	1,700.00	340,000	510,000	850,000
10	Bahraich	116,300	7,000.00	1,400,000	2,100,000	3,500,000
11	Ballia	74,800	4,500.00	900,000	1,350,000	2,250,000
12	Balrampur	79,400	4,700.00	940,000	1,410,000	2,350,000
13	Banda	49,100	3,000.00	600,000	900,000	1,500,000
14	Barabanki	83,600	5,000.00	1,000,000	1,500,000	2,500,000
15	Bareilly	117,900	7,100.00	1,420,000	2,130,000	3,550,000
16	Basti	65,300	4,000.00	800,000	1,200,000	2,000,000
17	Bijnor	86,600	5,200.00	1,040,000	1,560,000	2,600,000
18	Budaun	95,600	5,700.00	1,140,000	1,710,000	2,850,000
19	Bulandshahar	89,800	5,400.00	1,080,000	1,620,000	2,700,000
20	Chandauli	49,700	3,000.00	600,000	900,000	1,500,000
21	Chitrakoot	24,800	1,500.00	300,000	450,000	750,000
22	Deoria	77,100	4,600.00	920,000	1,380,000	2,300,000
23	Etah	47,700	2,900.00	580,000	870,000	1,450,000
24	Etawah	34,900	2,100.00	420,000	630,000	1,050,000
25	Faizabad	60,500	3,600.00	720,000	1,080,000	1,800,000
26	Farukkhabad	48,800	3,000.00	600,000	900,000	1,500,000
27	Fatehpur	58,900	3,500.00	700,000	1,050,000	1,750,000
28	Firozabad	63,800	3,800.00	760,000	1,140,000	1,900,000
29	Nagar	47,400	2,900.00	580,000	870,000	1,450,000
30	Ghaziabad	78,000	4,600.00	920,000	1,380,000	2,300,000
31	Ghazipur	83,900	5,000.00	1,000,000	1,500,000	2,500,000
32	Gonda	95,500	5,700.00	1,140,000	1,710,000	2,850,000
33	Gorakhpur	105,800	6,300.00	1,260,000	1,890,000	3,150,000
34	Hamirpur	24,600	1,500.00	300,000	450,000	750,000
35	Hapur	34,200	2,000.00	400,000	600,000	1,000,000
36	Hardoi	112,100	6,800.00	1,360,000	2,040,000	3,400,000
37	Hathras	36,300	2,100.00	420,000	630,000	1,050,000
38	Jalaun	36,500	2,200.00	440,000	660,000	1,100,000
39	Jaunpur	97,100	5,800.00	1,160,000	1,740,000	2,900,000
40	Jhansi	36,600	2,200.00	440,000	660,000	1,100,000
41	Kannauj	38,600	2,300.00	460,000	690,000	1,150,000
42	Kanpur Dehat	33,800	2,000.00	400,000	600,000	1,000,000

43	Kanpur Nagar	74,000	4,400.00	880,000	1,320,000	2,200,000
44	Kasganj	39,200	2,300.00	460,000	690,000	1,150,000
45	Kaushambi	47,400	2,900.00	580,000	870,000	1,450,000
46	(Padrauna)	106,200	6,300.00	1,260,000	1,890,000	3,150,000
47	Lakhimpur Kheri	110,100	6,600.00	1,320,000	1,980,000	3,300,000
48	Lalitpur	33,600	2,000.00	400,000	600,000	1,000,000
49	Lucknow	86,900	5,200.00	1,040,000	1,560,000	2,600,000
50	Maharajganj	76,300	4,600.00	920,000	1,380,000	2,300,000
51	Mahoba	20,900	1,300.00	260,000	390,000	650,000
52	Mainpuri	42,800	2,500.00	500,000	750,000	1,250,000
53	Mathura	58,300	3,500.00	700,000	1,050,000	1,750,000
54	MAU	46,600	2,800.00	560,000	840,000	1,400,000
55	Meerut	81,200	4,900.00	980,000	1,470,000	2,450,000
56	Mirzapur	54,000	3,200.00	640,000	960,000	1,600,000
57	Moradabad	81,500	4,900.00	980,000	1,470,000	2,450,000
58	Muzaffar Nagar	63,800	3,800.00	760,000	1,140,000	1,900,000
59	Pilibhit	51,300	3,100.00	620,000	930,000	1,550,000
60	Pratapgarh	75,500	4,500.00	900,000	1,350,000	2,250,000
61	Raebareli	53,900	3,200.00	640,000	960,000	1,600,000
62	Rampur	59,200	3,500.00	700,000	1,050,000	1,750,000
63	Saharanpur	90,400	5,400.00	1,080,000	1,620,000	2,700,000
64	Sambhal	61,700	3,700.00	740,000	1,110,000	1,850,000
65	Sant Kabir Nagar	52,100	3,100.00	620,000	930,000	1,550,000
66	Sant Ravidas	36,800	2,200.00	440,000	660,000	1,100,000
67	Shahjahanpur	85,800	5,100.00	1,020,000	1,530,000	2,550,000
68	Shamali	32,400	2,000.00	400,000	600,000	1,000,000
69	Shravasti	47,400	2,900.00	580,000	870,000	1,450,000
70	Siddharth Nagar	98,700	6,000.00	1,200,000	1,800,000	3,000,000
71	Sitapur	127,500	7,700.00	1,540,000	2,310,000	3,850,000
72	Sonbhadra	53,100	3,200.00	640,000	960,000	1,600,000
73	Sultanpur	53,200	3,200.00	640,000	960,000	1,600,000
74	Unnao	63,700	3,800.00	760,000	1,140,000	1,900,000
75	Varanasi	69,400	4,200.00	840,000	1,260,000	2,100,000
	Total	**5,000,000**	**300,000**	**60,000,000**	**90,000,000**	**150,000,000**

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

त्रांक–एन0एच0एम0/मातृ स्वा0/एनीमिया/ HRP/135/2018–19/ दिनांकः 4.09.2018

विषय– हाई रिस्क प्रेगनेन्सी (उच्च खतरे वाली गर्भावस्था) का चिन्हीकरण, उपचार, फॉलो–अप व प्रोत्साहन धनराशि के आवंटन सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि वर्तमान में मातृ मृत्यु दर के अनुसार राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 14620 प्रसूताओं की मृत्यु हो रही है, जिसका मुख्य कारण प्रसूताओं की समय पर ए0एन0सी0 जांच एवं उच्च खतरे वाली गर्भवती महिला का समय पर चिन्हीकरण एवं उपचार न हो पाना है। यदि प्रसूताओं को सभी ए0एन0सी0 जांचें समय पर उपलब्ध हो जायें एवं एच0आर0पी0 चिन्हित कर उनका उपचार एवं नियमित फालोअप किया जाये तो राज्य की मातृ मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाई जा सकती है। लगभग 60 प्रतिशत मृत्युओं को मात्र उच्च जोखिम युक्त महिलाओं के चिन्हीकरण व पूर्व नियोजित सुरक्षित संस्थागत प्रसव कराने मात्र से रोका जा सकता है। इसके सन्दर्भ में वर्ष 2017–18 में दिनांक– 01.08.2018 को पत्रांक–एन0एच0एम0/मातृ स्वा0/एनिमिया/एच0आर0पी0/142/2017–18/4263–2 द्वारा सभी जनपदों को दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे। इसी क्रम में वर्ष 2018–19 के लिये दिशा–निर्देश प्रेषित किये जा रहे हैं।

1. **हाई रिस्क प्रेगनेन्सी से होने वाली मृत्यु के कारण** कई हैं, जिनमें से प्रमुख कारण निम्न हैं:–
   - रक्त स्त्राव (एन्टी पार्टम/पोस्ट पार्टम)
   - गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप (Pre-eclampsia/eclampsia)
   - गम्भीर एनीमिया
   - पूर्व की गर्भावस्था की जटिलताएं
   - ओब्सट्रक्टेड लेबर (अटका हुआ प्रसव)
   - अन्य चिकित्सकीय बीमारियाँ जो गर्भावस्था में अनियन्त्रित हो जायें जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारी, टी0बी0, मलेरिया आदि।
2. **गर्भवती महिला में जटिलता के चिन्हीकरण हेतु मुख्य बिन्दु** निम्नानुसार हैं:–

जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं (HRP) की पहचान
1. **पूर्व की गर्भावस्थाओं या प्रसव का इतिहास** – दो या उससे अधिक बार कच्चा बच्चा गिर गया हो (एवोर्शन)। – बच्चा पेट में मर गया हो या मरा पैदा हुआ हो या तुरन्त पैदा होते ही मर गया हो। – कोई विकृत वाला बच्चा पैदा हुआ हो। – प्रसव के दौरान या बाद मे अत्याधिक खून चला हो। – पहला प्रसव बडे ऑपरेशन से हुआ हो।
2. **गर्भवती को पहले से कोई बीमारी हो** – हाई ब्लड प्रेशर (उच्च रक्तचाप) – शकर की बीमारी (डायबिटीज) – दिल की, गुर्दे की बीमारी – टी0बी0, मिरगी आदि – पीलिया या लिवर की बीमारी – हाईपोथायोराइड

3. वर्तमान गर्भावस्था में – गम्भीर एनीमिया <7gm Hb% – ब्लड प्रेशर 140/90 से अधिक – आडा/तिरछा/उल्टा बच्चा – चौथे महीने के बाद खून चलना – गर्भावस्था में डायबिटीज का पता चलना – HIV या WR +ve
उपर्युक्त लक्षण पाये जाने पर सामने टिक (V) लगायें।

कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से लगभग 5 से 10 प्रतिशत महिलाओं में एच0आर0पी0 होने की सम्भावना होती है। किसी गर्भवती महिला में उपर्युक्त कोई भी लक्षण पाये जाने पर ए0एन0एम0 मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड पर प्रदर्शित तालिका में टिक (V) लगा देगी और कार्ड के प्रथम पृष्ठ व काउन्टर फॉइल पर HRP सील तथा लाल बिन्दी लगा देगी।

प्रदेश में प्रसव पूर्व देखभाल एवं जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान व प्रबन्धन को संस्थापित करने के लिये प्रत्येक माह की 09 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भी संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान स्वास्थ्य इकाईयों पर एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक (प्राईवेट/पब्लिक) द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं की जांच एवं उपचार किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन सभी स्वास्थ्य इकाइयों पर एच0आर0पी0 महिलाओं का निरन्तर फालोअप, चिकित्साधिकारी द्वारा जाँच व उपचार आवश्यक है जब तक कि उनका सुरक्षित संस्थागत प्रसव न हो जाये। अतः एच0आर0पी0 महिला की 04 ए0एन0सी0 जाँचों के अतिरिक्त भी ए0एन0सी0 जाँचें होती रहेंगी, जब तक उनका सुरक्षित प्रसव हो जाये। इसके पश्चात भी 42 दिनों तक आशाओं द्वारा एच0बी0एन0सी0 के दौरान उन्हें फॉलोअप किया जाना है। इस कार्य में आशा, ए0एन0एम0, चिकित्सकों सभी की अहम भूमिका है और भारत सरकार ने भी इस गतिविधि को प्राथमिकता देते हुए गत वर्ष की भांति वित्तीय वर्ष 2018–19 में भी विशेष प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत की है।

3. वर्ष 2018–19 में मिलने वाली प्रोत्साहन धनराशि का विवरण–

- **ए0एन0एम0 के लिये प्रोत्साहन धनराशि–** ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर ए0एन0एम0 गर्भवती महिला की जाँच एवं पूर्व के प्रसवों/गर्भावस्थाओं के इतिहास के आधार पर हाई रिस्क गर्भवती महिला को पहचान कर उसकी एम0सी0टी0एस0 पोर्टल में कॉम्लीकेटेड प्रेगनेन्सी के कॉलम में दर्ज कराने और एम0सी0पी0 कार्ड में अंकन करायेगी तो ए0एन0एम0 को **रू0–200.00 प्रति एच0आर0पी0 की प्रोत्साहन धनराशि** प्राप्त होगी।
- **आशा के लिये प्रोत्साहन धनराशि–** अपने क्षेत्र में ग्राम/शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस पर ए0एन0एम0 द्वारा किसी हाई रिस्क गर्भवती महिला का चिन्हीकरण होने पर आशा
  - उसे अपने वी0एच0आई0आर0 रजिस्टर में दर्ज कर लेंगी,
  - ए0एन0एम0 दीदी से उसका एम0सी0पी0 कार्ड भरवायेंगी,
  - एम0सी0टी0एस0 नं0 अंकित करवायेंगी,
  - उसे ब्लाक/जिला स्तरीय चिकित्सालय पर नियमित रूप से दिखाने ले जायेंगी और सुनिश्चित करेंगी कि उसका संस्थागत प्रसव ही हो एवं गर्भवती की सुरक्षित प्रसव तक की सभी सूचनायें एम0सी0टी0एस0 पर अंकित करवायेगी ,तो आशा को **रू0–300.00 प्रति लाभार्थी की प्रोत्साहन धनराशि** प्राप्त होगी जो कि जे0एस0वाई के प्रोत्साहन धनराशि के अतिरिक्त होगी। इसके अतिरिक्त निजी संस्था में सुरक्षित प्रसव करवाने के पश्चात **एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर अंकित करने पर भी आशा को यह धनराशि देय होगी।**

आशा का उत्तरदायित्व होगा कि ए0एन0एम0 के सहयोग से जटिलता वाली गर्भवती महिला के परिवार को जटिलता का प्रकार एवं उससे होने वाले खतरे के लक्षणों के विषय में विस्तार से समझायेगी और उनके साथ सुरक्षित संस्थागत प्रसव की योजना बनाकर उसपर अमल करेगी।

4. कार्यक्रम क्रियान्वयन–

- इस कार्यक्रम के लिये अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एन0आर0एच0एम0/आर0सी0एच0 ही नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

- सभी स्वास्थ्य इकाई प्रभारियों को हाई रिस्क प्रेगनेन्सी (उच्च खतरे वाली गर्भावस्था) का चिन्हीकरण, उपचार व फॉलो–अप सम्बन्धी कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी जाये एवं एक रणनीति विकसित की जाये। हाई रिस्क प्रेगनेन्सी (उच्च खतरे वाली गर्भावस्था) के चिन्हीकरण के लिये शीघ्र पंजीकरण के महत्व पर विशेष जोर दिया जाये।
- इसके लिये प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर सभी ब्लॉक प्रभारियों एवं चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिकाओं की पुनः बैठक कर ''हाई रिस्क प्रेगनेन्सी'' (उच्च खतरे वाली गर्भावस्था) का चिन्हीकरण, उपचार व फॉलो–अप'' विषय पर चर्चा की जाये। इसी प्रकार प्रत्येक ब्लॉक पर भी एक बैठक कर इस विषय पर चर्चा की जाय जिससे वे कार्यक्रम का अनुश्रवण कर सकें।
- ब्लॉक स्तरीय बैठक में प्रभारी चिकित्साधिकारी के साथ बी0पी0एम0 व एच0ई0ओ0 सभी ए0एन0एम0/एच0वी0 को ''हाई रिस्क प्रेगनेन्सी'' (उच्च खतरे वाली गर्भावस्था) का चिन्हीकरण, उपचार व फॉलो–अप'' के विषय में विस्तार से बतायें तथा क्वालिटी ए0एन0सी0 के घटक व महत्ता पर प्रकाश डालें। एम0सी0टी0एस0 व एच0एम0आई0एस0 में सूचनाओं के अंकन पर भी ज्ञानवर्धन करें।
- मुख्य चिकित्साधिकरी जनपद की सभी चिकित्सा इकाइयों पर स्पष्ट निर्देश प्रेषित करें कि उच्च खतरे वाली गर्भवती महिला को उपचार हेतु लगी हुई कतार में न खड़ा रहने दें, वरन उस गर्भवती महिला को विशेष महत्व देते हुये उसे जाँच एवं उपचार तुरन्त उपलब्ध करवाया जाये। सम्भव हो तो एक पृथक से हाई रिस्क क्लीनिक भी बनायी जा सकती है।
- हाई रिस्क (उच्च खतरे वाली वाली गर्भावस्था) गर्भवती महिलाओं की सूचना एम0सी0टी0एस0 रजिस्टर में ''कॉम्प्लीकेशन इन प्रेगनेन्सी'' वाले कॉलम में नियमित रूप से अंकित किया जाये एवं इसका नियमित अनुश्रवण भी किया जाये।
- प्रत्येक जनपद की सभी इकाइयों पर यह प्रोटोकॉल भी प्रदर्शित किया जाये कि हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के उपचार की सुविधा किन चिकित्सा इकाइयों पर उपलब्ध है। इससे ए0एन0एम0 अथवा आशाओं को उचित इकाई पर सन्दर्भन में सुविधा होगी।
- प्रत्येक माह चिकित्सा इकाई के प्रभारी, ब्लॉक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी द्वारा नयी चिन्हीकृत उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं की विस्तृत सूचना एवं सुरक्षित संस्थागत प्रसव के एम0सी0टी0एस0 पर अंकन का अनुश्रवण करेंगे। अपने जनपद/ब्लॉक में संभावित हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की संख्या (कुल गर्भवती महिलाओं का 5–10 प्रतिशत) का आंकलन कर, उसके सापेक्ष कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे।
- सभी प्रोत्साहन धनराशियों का आवंटन एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर अंकन का साक्ष्य उपलब्ध कराये जाने पर ही देय होगा। ब्लाक स्तर पर एम0सी0टी0एस0 प्रभारी द्वारा यह साक्ष्य सत्यापित किया जायेगा।

5. वित्तीय व्यवस्था–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव पूर्व देखभाल एवं एच0आर0पी0 महिलाओं का प्रबन्धन सुनिश्चित करने के लिये निम्नानुसार वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया है–

- भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 में उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं (एच0आर0पी0) के चिन्हीकरण, लाइन लिस्टिंग एवं एम0सी0टी0एस0 में अंकन हेतु ए0एन0एम0 को रू0 200.00 प्रति चिन्हित केस की दर से 3 लाख जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं (एच0आर0पी0) के चिन्हीकरण, लाइन लिस्टिंग एवं एम0सी0टी0एस0 में अंकन हेतु एफ0एम0आर0 कोड– 8.4.10 में रू0–6,00,00,000/–छः करोड की धनराशि जनपदों को आवंटन हेतु स्वीकृत की गयी है। जनपदों को आवंटित की जा रही है। पूर्व से पंजीकृत गर्भवती महिलायें जिनमें कोई जटिलता का चिन्ह पाया जाये और एम0सी0टी0एस0 पर अंकन हो जाये तो भी ए0एन0एम0 को यह प्रोत्साहन धनराशि देय होगी।
- इसी प्रकार चिन्हित जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं (एच0आर0पी0) की लाइन लिस्टिंग, चार ए0एन0सी0 चेकअप एवं संस्थागत प्रसव तक के फालोअप हेतु रू0 300.00 प्रति चिन्हित केस की दर से एफ0एम0आर0 कोड– 3.1.1.1.12 में रू0–9,00,00,000/–नौ करोड की धनराशि

जनपदों को आवंटन हेतु स्वीकृत है। यह धनराशि आशाओं को एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर प्रसव तक की आवश्यक प्रविष्टियां सुनिश्चित करने पर संस्थागत प्रसव के पश्चात ही अनुमन्य होगी।

इन प्रयासों से राज्य में एच0आर0पी0 गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित संस्थागत प्रसवों को सुनिश्चित कर प्रतिवर्ष हो रही मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। पूर्व में प्रेषित पत्रांक–एन0एच0एम0/मातृ स्वा0/एनीमिया/HRP/135/2018–19/2675–75 दिनांक 14.06.2018 द्वारा डी0सी0पी0एम0 एवं बी0सी0पी0एम0 को इसके लिये उत्तरदायी किया गया है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जनपद में हाईरिस्क प्रेगनेन्सी के चिन्हीकरण, उपचार एवं फालोअप कराना सुनिश्चित करायें तथा इस कार्यक्रम पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। सभी मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एन0आर0एच0एम0/आर0सी0एच0 इस कार्यक्रम की महत्ता के दृष्टिगत उपर्युक्तानुसार कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक–एन0एच0एम0/मातृ स्वा0/एनीमिया/ HRP/135/2018–19/ 6046-2(9) **तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित कराने का कष्ट करें।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेश, चि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
5. समस्त महाप्रबन्धक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ।
6. महाप्रबंधक एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को upnhm की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. वित्त नियंत्रक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।

(डा0 स्वप्ना दास)
महाप्रबन्धक मातृ स्वा0